

मोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

फ०/बोर्ड/निर्माण/रवी०/विविध/20-21/406

भोपाल, दिनांक: 18/6/2020

प्रति,

रायिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
.....(समरत)
जिला.....(म.प्र.)


विषय:- मण्डी समिति की स्थाई निधि से राशि रवीकृत किये जाने की प्रक्रिया।

—:-—

पिपासान्तर्गत मंडी अधिनियम 1972 की धारा 25 क(6) के प्रावधानों के तहत स्थायी निधि रो व्यय की रवीकृति प्रदान करने के अधिकार प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड को है।

गियमानुसार मण्डी समितियां स्थायी निधि से व्यय की रवीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रशारानिक रवीकृति जारी कर सकती है।

अतः प्रांगण में आवश्यक निर्माण कार्य कराने के लिए मण्डी समितियां सर्वप्रथम प्रस्तावित कार्य की तकनीकी रवीकृति प्राप्त करेगी एवं कार्य की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए स्थायी निधि से व्यय की रवीकृति का प्ररताव प्रेषित करेंगी। स्थायी निधि से रवीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य कराने की प्रशारानिक रवीकृति जारी कर, निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी।


(रांदीप यादव)

प्रबंध संचालक

मोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

५०/ बोर्ड / नियमाला / स्ट्रीट / विधिय / २०-२१/ ४०७

गोपाल रिमांड १८/६/२०२०

परिवेशि- सुनवाई एवं आदानप्रदान कार्यवाही के त्रु ।

१. अपर सचालक(वित्त), अपराज्य कृषि विधान बोर्ड, गोपाल ।
२. मुख्य अधिकारी, अपराज्य कृषि विधान बोर्ड, गोपाल ।
३. संयुक्त सचालक / उपसचालक, अपराज्य कृषि विधान बोर्ड, आधिकारिक आपौरण । | कृपया अपनी समिति के पास प्रश्नाव भेजने के पुढ़ उपरोक्त नियमों का ध्यान सुनिश्चित हित जाए ।
४. आठवां दंडी अपराज्य कृषि विधान बोर्ड तत्कालीन सभाग ।
५. उपसचालक, अपराज्य कृषि विधान बोर्ड (स्ट्रीट) मुख्यालय गोपाल ।


गोपाल
गोपालक
मुख्यालय कृषि विधान बोर्ड
गोपाल